


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला देवी बनाम देवाराम अपील संख्या:-जीसीएमएस नम्बर 2024 / 343</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17.11.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होंने प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस (विद्धो) करने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण से अपीलार्थीगण अपनी अपील को विद्धो करना चाहती है। अतः प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की उक्त अपील विद्धो करने के आदेश फरमाये जावें।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहती एवं विद्धो करना चाह रही है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण अपनी अपील विद्धो करने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर। </p>	